आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A. Case No. 04/2017-18

बैद्यनाथ भोक्ता **बनाम** 16 आना रैयत

आदेश

6.8.19

प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Rev. Misc. Case No. 38/1981-82 में दिनांक–31.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि मौजा– बड़देही गत सर्वे सेटेलटमेंट के अनुसार एक प्रधानी मौजा है। अपीलकर्त्ता अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद P.A. Case No. 14/1995-96 के द्वारा पारित आदेश के अनुसार वंशपरंपरा के अंतर्गत अपीलकर्त्ता बैद्यनाथ भोक्ता, पिता स्व0 नरसिंह भोक्ता को मौजा– बड़देही का प्रधान नियुक्त किया गया। अपीलकर्त्ता विल्कुल ईमानदारीपूर्वक एवं कुशलता से प्रधानी का कार्य संपादन कर रहे थे। गत प्रधान एवं वर्त्तमान प्रधान द्वारा मौजा– बड़देही दाग सं0– 693 किस्म पुरातन पतित कुल रकवा 128.01 एकड़ के अंश रकवा पर पट्टा प्रदान किया गया। पुनः सरकार द्वारा डी0भी0सी0 मैथन जलाशय योजना के विस्थापितों को भी पट्टा दिया गया। जिस कारण इस जमीन पर सीमाकंन का भिन्न–भिन्न विवाद लंबित है। इस सीमांकन एवं बंदोवस्ती विवाद में वर्त्तमान प्रधान निर्दोष है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि Santal Parganas Tenancey (Supplementary) Rules, 1950 के SCHEDULE - V के Dismissal of Headman के अनुसार ग्राम प्रधान के बर्खास्तगी की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी को निहित नहीं है, बल्कि ग्राम प्रधान के बर्खास्तगी की शक्ति उपायुक्त को निहित है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय के वाद Rev. Misc. Case No. 38/1981-82 में दिनांक–31.08.2016 को पारित आदेश का अवलोकन किया। उक्त आदेश के प्रथम अंश में दुर्गासिंह मिर्धा एवं अन्य 21 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति रैयतों द्वारा नए सिरे से जीमन बंदोवस्ती हेतु दाखिल किये गए आवेदन को खारिज किया गया है, एवं द्वितीय अंश में ग्राम प्रधान बैद्यनाथ भोक्ता को ग्राम प्रधान के दायित्व के निर्वाहन में असफल, कर्तव्यहीनता, सरकारी संपत्ति के रक्षा में अक्षम रहने तथा न्यायालय तथा उच्चधिकारी के आदेश की अवहेलना के आरोप में ग्राम प्रधान पद से उनकी नियुक्ति को रद्द किया गया है। Santal Parganas Tenancey (Supplementary) Rules, 1950 के SCHEDULE - V के Dismissal of Headman में अंकित है " The Power of Dismissal rests with the Deputy Commissioner subject to an appeal to the Commissioner, Santal Parganas." इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय के वाद Rev. Misc. Case No. 38/1981-82 में दिनांक–31.08. 2016 को पारित आदेश के द्वितीय अंश जिसमें ग्राम प्रधान बैद्यनाथ भोक्ता ग्राम प्रधांन पद से उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाना उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, उन्हें सिर्फ अनुशंसा करने का अधिकार है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Rev. Misc. Case No. 38/1981-82 में दिनांक–31.08.2016 को पारित आदेश के सिर्फ द्वितीय अंश जिसमें ग्राम प्रधान बैद्यनाथ भोक्ता ग्राम प्रधान के पद से उनकी नियुक्ति को रद्द किया गया है, को निरस्त (Set aside) करते हुए पुनर्विचार हेतु वापस (Remand) किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
जामताड़ा।

6/8/19
उपायुक्त,
जामताड़ा।

D13/SD dt. 20.8.19

Scanned with CamScanner